DMS-107111

FUTURE IS HERE

पत्रांक : वाई0ई0ए0/सम्पत्ति/ 146 /2019
दिनांक 26 /12/2019

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 66वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21.12.2019 के मद संख्या 66/18 में संचालन मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की समस्त प्रकार की आवंटित परिसम्पत्तियों ग्रुप हाउसिंग, बिल्डर टाउनशिप एवं संस्थागत हेतु निष्पादित पट्टा प्रलेख एंव उप पट्टा प्रलेख धारकों द्वारा अतिदेय धनराशि का 15 प्रतिशत/25 प्रतिशत जमा कराये जाने के साथ पुनर्निर्धारण (Re-Schedulement) की सुविधा दिनांक 25.02.2020 तक निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:–

(क) समस्त परिसम्पत्ति अनुभागों में पुनर्निर्धारण (Re-Schedulement) की सुविधा दिनांक 25.02.2020 तक लागू रहेगी। यह सुविधा केवल उन्हीं आवंटियों को अनुमन्य करायी जायेगी, जिनके द्वारा आवंटित परिसम्पत्ति का पट्टा प्रलेख निष्पादित करा लिया गया है।

(ख) अतिदेयता के पुनर्निर्धारण की सुविधा के अन्तर्गत मूल किश्तों के पेमेंट प्लान की अतिदेयता एवं पूर्व में पुनर्निर्धारित (Re-Schedulement) सभी भुगतान तालिका की अतिदेयता तथा 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि की अतिदेयता (उन प्रकरणों को छोड़कर जिनमें माननीय न्यायालय से 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि वसूलने में दण्डात्मक (Coersive Action) कार्यवाही पर रोक के आदेश पारित हों) को जोड़ते हुए प्रारम्भ में आवंटी को रि–शिडयूलमेन्ट के प्रार्थना पत्र के साथ कुल अतिदेय धनराशि की 5 प्रतिशत(जिन आवंटियों की भुगतान तालिका अवशेष है और जिन्हें समयवृद्धि की सुविधा नहीं प्रदान की जानी है) एवं 10 प्रतिशत (जिन आवंटियों की भुगतान तालिका समाप्त हो चुकी है और जिन्हें समयवृद्धि की सुविधा प्रदान की जानी है) धनराशि जमा करायी जानी होगी तदोपरान्त रि–शिडयूलमेन्ट की सुविधा अनुमन्य होने पर निर्धारित अवधि में 10 प्रतिशत (जिन आवंटियों की भुगतान तालिका अवशेष है और जिन्हें समयवृद्धि की सुविधा नहीं प्रदान की जानी है)/15 प्रतिशत (जिन आवंटियों की भुगतान तालिका समाप्त हो चुकी है और जिन्हें समयवृद्धि की सुविधा प्रदान की जानी है) प्राधिकरण द्वारा अधिकृत बैंक में जमा करायी जायेगी, जिसमें अग्रिम देय कुल 15 प्रतिशत/25 प्रतिशत (5 प्रतिशत/10 प्रतिशत प्रार्थना पत्र के साथ तथा 10 प्रतिशत/15 प्रतिशत रि–शिडयूलमेन्ट अनुमन्यता के उपरान्त जारी से 30 दिन में) का निर्धारण किया जायेगा।

(ग) अतिदेय के पुनर्निर्धारण की सुविधा प्रदान किये जाने में प्रत्येक आवंटी/पट्टाधारक से इस आशय का शपथ–पत्र लिया जायेगा कि यदि उनके द्वारा पुनर्निर्धारण किश्तों तथा आवंटन की शर्तो के अनुसार आवंटन पत्र/पट्टा प्रलेख/उप पट्टा प्रलेख में उल्लिखित किश्तों का भुगतान समय से नहीं किया जाता है तो 3 किश्तों का डिफाल्टर होने की दशा में प्राधिकरण बिना किसी पूर्व सूचना के आवंटन निरस्त कर सकता है। 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की देयता/अतिदेयता के संबंध में अवगत करा दिया जायेगा। शपथ–पत्र में आवंटी द्वारा यह भी उल्लेख किया जायेगा कि 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की देयता मा0 न्यायालय के निर्णय के अनुसार देय होगी।

....

(घ) यदि किसी प्रकरण में निर्धारित किश्तें जमा करने की अंतिम समय सीमा समाप्त हो चुकी है और आवंटी द्वारा भूखण्ड/प्रोजेक्ट की पूरी धनराशि जमा नहीं की गयी है। उन प्रकरणों में आदेश निर्गमन की तिथि से अधिकतम 5 वर्ष की अधिकतम समय–सीमा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है तथा ऐसे प्रकरणों में केस–टू–केस यथोचित निर्णय लेने हेतु प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अधिकृत होंगे। यदि किसी आवंटी को किसी भूखण्ड/प्रोजेक्ट में अतिरिक्त समय सीमा प्रदान की जाती है तो नियमानुसार (10.5 प्रतिशत+3 प्रतिशत दण्डात्मक = 13.5 प्रतिशत) दण्डात्मक ब्याज सहित किश्तों का पुनर्निर्धारण मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के उपरान्त किया जायेगा।

(ङ) ऐसे प्रकरणों में आवंटी द्वारा प्रत्यावेदन सम्बन्धित परिसम्पत्ति अनुभाग में प्रस्तुत किया जायेगा। परिसम्पत्ति अनुभाग द्वारा पत्रावली में उक्त पत्र व्यावहारित करते हुए पत्रावली वित्त विभाग में अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी। वित्त विभाग नियमानुसार उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।

(च) जिन आवंटियों को पी0एस0पी0 पॉलिसी के अंतर्गत रि–शिडयूलमेन्ट की सुविधा का लाभ दिया जा चुका है और वे पुनः डिफॉल्ट कर चुके हैं, उनको भी वर्तमान तक की अतिदेयता का रि–शिडयूलमेन्ट करने का अवसर प्रदान किया जायेगा परन्तु यह सुविधा उन्हीं आवंटियों को प्रदान की जायेगी, जिनके द्वारा वर्तमान में 15 प्रतिशत/25 प्रतिशत धनराशि पुनः जमा करायी जायेगी। यदि किसी आवंटी ने पी.एस.पी. पालिसी के अन्तर्गत पूर्व में 15 प्रतिशत/25 प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष आंशिक भुगतान किया गया है तो उसे कैपिटलाईज़्ड करने के उपरान्त 15 प्रतिशत/25 प्रतिशत धनराशि वर्तमान नीति के अनुसार अलग से जमा करानी होगी।

(छ) जिन आवंटियों द्वारा अतिदेय धनराशि के सापेक्ष पूर्व में 15 प्रतिशत धनराशि अथवा 25 प्रतिशत धनराशि के विरुद्ध पार्ट धनराशि जमा कराई गयी है ऐसे प्रकरणों में वर्तमान तक डिफाल्टर धनराशि के सापेक्ष 15 प्रतिशत/25 प्रतिशत धनराशि की गणना (प्रीमियम+अतिरिक्त प्रतिकर) करते हुए (पूर्वमें जमा की गई 15 प्रतिशत अथवा 25 प्रतिशत पार्ट धनराशि) को घटाते हुए अवशेष अन्तर धनराशि (प्रीमियम+अतिरिक्त प्रतिकर) का भुगतान मय ब्याज एकमुश्त पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिन में जमा कराये जाने के उपरान्त ही किश्तों की रि–शेडयूलमेन्ट की सुविधा अनुमन्य होगी। उक्त सुविधा प्राप्त करने हेतु आवंटी को लिखित रुप में आवेदन के साथ भूखण्ड के सापेक्ष डिफाल्टिड धनराशि (प्रीमियम+अतिरिक्त प्रतिकर) का 15 प्रतिशत/25 प्रतिशत की अवशेष धनराशि का एकमुश्त भुगतान पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिन में कराना होगा।

(ज) आवंटी यदि 15 प्रतिशत/25 प्रतिशत राशि निर्धारित अवधि 30 दिन के अन्दर जमा नहीं करा पाते हैं तो उन्हें निर्धारित दण्ड ब्याज के साथ 30 दिन का अतिरिक्त समय विस्तारण प्रदान किया जा सकता है। तत्पश्चात भी देय धनराशि आवंटी द्वारा जमा नहीं की जाती है तो उक्त के अतिरिक्त 30 दिन का समय विस्तारण केस–टू–केस के आधार पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के उपरान्त प्रदान किया जायेगा।

(झ) इस नीति के अन्तर्गत पुनर्निर्धारण (Re-Schedulement) की सुविधा प्राप्त करने वाले आवंटियों द्वारा यदि पूर्व निर्धारित भुगतान (Re-Schedulement Plan) के अनुसार किश्तो

....

का भुगतान समयानुसार नहीं किया जाता है एवं 3 किश्तों का डिफाल्टर किया जाता है तो भविष्य में पुर्ननिर्धारण की कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी एवं आवंटन निरस्तीकरण की नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(न) जो परिसम्पत्ति एस0बी0आई0पी0एल0आर0 पर आवंटित है उन पर उनके आवंटन पत्र में उल्लिखित ब्याज दर व दण्डात्मक ब्याज दर ही लागू होगी।

प्राधिकरण संचालन मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:— सामान्य प्रकरणों में 13.50 प्रतिशत ब्याज एवं समय वृद्धि के साथ रि—शेडयूलमेन्ट की सुविधा प्रदान की जाती है।

जिन आवंटियों के आवंटन की निर्धारित अवधि पूर्ण हो चुकी है उनसे पुनः पुनर्निर्धारण की सुविधा प्रदान करते समय 2 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क एवं समयवृद्धि शुल्क लिया जायेगा।

प्राधिकरण की वित्तीय तरलता बनाए रखने के दृष्टिगत प्रश्नगत अतिदेय धनराशि के रि—शेडयूलमेन्ट की नीति बोर्ड के अनुमोदन के अनुरुप निर्धारित अवधि के लिये प्रभावी की जाती है, परन्तु उन प्रकरणों में जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई आदेश रि—शेडयूलमेन्ट को प्रभावित करने के सम्बन्ध में पारित किये गये हों, उनमें न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जानी होगी। सभी सम्बन्धित विभाग उपरोक्त नीति के सम्भावित उपयोगार्थियों को सूचित करना सुनिश्चित करें एवं प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर समयबद्ध रुप से निस्तारण करना सुनिश्चित करें। प्राधिकरण द्वारा समस्त परियोजनाओं के सभी आवंटियों एवं पट्टा धारकों द्वारा अतिदेय धनराशि जमा कराये जाने हेतु पुनर्निर्धारण की सुविधा उपरोक्त शर्तो के अनुसार प्रदान किये जाने की कार्यवाही की जाए।

(सतीश कुमार दुबे),
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि:—

1. स्टाफ आफिसर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को सूचनार्थ।
2. विशेष कार्याधिकारी (एस0बी0 / एन0जी0 / एम0) को सूचनार्थ।
3. महा प्रबन्धक (वित्त) को इस आशय के साथ प्रेषित कि नीति के बिन्दु ड के अनुरुप रि—शेडयूलमेन्ट प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु विभागवार अधिकारी नामित कर समयबद्ध रुप से प्रकरणों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करायेंगे।
4. महाप्रबन्धक (नियोजन / परियोजना) को सूचनार्थ।
5. समस्त योजना प्रभारी / प्रबन्धक सम्पत्ति को सूचनार्थ।
6. प्रबन्धक सिस्टम को उक्त नीति को प्राधिकरण की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
7. गार्ड फाईल।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, ब्लॉक—पी—2, सेक्टर ओमेगा—1, ग्रेटर नौएडा सिटी — 201308, गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)
दूरभाष न0 — 0120 — 2395153, फैक्स न0 — 0120 — 2395150